संख्या- 12/2017/600/चालीस-2017-बजट(4)/17

प्रेषक,

सत्येन्द्र सिंह,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश ।

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग लखनऊ: दिनांक 22 अगस्त, 2017

विषय: महान विभूतियों के जन्मदिवस पर राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सदभाव से सम्बन्धित कार्यक्रमों का आयोजन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महान विभूतियों के जन्मदिवस पर राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सदभाव से सम्बन्धित कार्यक्रमों का आयोजन हेतु शासनादेश संख्या-7/2017/147/चालीस-2017-बजट(4)/17,दिनांक 12 अप्रैल, 2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्रति जनपद रू0 14,583/-(रू0 चौदह हजार पांच सौ तिरासी मात्र) की दर से अर्थात कुल रूपये 10,93,725/-(रूपये दस लाख तिरान्नबे हजार सात सौ पच्चीस मात्र) की धनराशि स्वीकृत की गई थी। तत्क्रम में आपके जनपद में ऐसी ज्ञात एवं अज्ञात विभूतियों/महात्मा/सन्त/सद्पुरूष जिन्होंने स्थानीय समाज में भाई-चारे की भावनाओं को विकसित करने तथा विभिन्न सम्प्रदायों के बीच आपसी मेल मिलाप के माहौल को सुदृढ करने में उल्लेखनीय योगदान दिया हो, किन्तु धनाभाव के कारण जिनको अपेक्षित पहचान न मिल पाई हो, के जन्म दिन मनाये जाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों या जिला प्रशासन के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अवशेष धनराशि प्रति जनपद रू0 20,417/-(रू0 बीस हजार चार सौ सत्रह मात्र) की दर से अर्थात कुल रूपये 15,31,275/-(रूपये पन्द्रह लाख इकतीस हजार दो सौ पचहत्तर मात्र) स्वीकृत कर जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखने/नियमानुसार व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- जनपद स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन इस प्रकार किया जाय कि जनपद के मुख्यालय के साथ-साथ जनपद के अन्य क्षेत्रों में भी साम्प्रदायिक सदभाव व आपसी भाईचारे की भावना प्रबल हो सके।

3- आवंटित धनराशि का कोषागार से आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये तथा प्रत्येक आहरण की डी0डी0ओ0 शीट की प्रमाणित प्रति शासन को तत्काल उपलब्ध करायी जाएगी। साथ ही, व्यय का सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र दिनांक 20-2-2018 से पूर्व शासन को उपलब्ध करा दिया जाएगा तथा धनराशि का उपयोग करने के पश्चात् आंकडों का मिलान

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद से कराकर उनके द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति शासन को 01-03-2018 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान सं0-53 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-800-अन्य व्यय-08- महान विभूतियों के जन्मदिवस पर राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सदभाव कार्यक्रमों का आयोजन-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सत्येन्द्र सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-12/2017/600(1)/चालीस-2017-बजट(4)/17,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
(2) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश। (नोडल अधिकारी)।
(3) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 , इलाहाबाद।
(4) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 , इलाहाबाद।
(5) वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट एवं प्लानिंग) कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा, भवन-15, नार्थ हिल रोड, इलाहाबाद।
(6) समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
(8) निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(9) समस्त जिला सूचना अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(10) गार्ड बुक/ बजट सहायक।

आज्ञा से,

अशोक कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in